

कार्यालय प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

पत्रांक 1408 / 14-1
सेवा में,

दिनांक- 08/11/17

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव विभाग,
बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:- जनपद बदायूँ में मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के किमी० 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनों ओर पड़ने वाले वृक्षों के पातन एवं 64.60 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगी की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/५३/२०१७/एफ०सी०/७८ दि० १६-०८-२०१७

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	आपत्ति	क्र. सं.	निराकरण
1	The proposal is a continuation of proposal submitted online FP/UP/ROAD/23576/2017 for widening of the same SH-18 and as per provisions contained in 2.2(iii) of FCA Handbook integrated proposal shall be submitted not in piecemeal. The matter needs clarification.	1	प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/23576/2017 इसी राज्य मार्ग सं०-18 के जनपद सम्मिल में पड़ने वाले भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति का शासनादेश उक्त प्रस्तावित मार्ग के इस भाग {किमी० 163 से 208(400)} से अलग है अलग-अलग शासनादेश से कार्य स्वीकृत होने के कारण यह प्रस्ताव, स्वीकृति के अनुरूप मार्ग के किमी० 163.00 से 208.400 तक के भाग के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन नं० 3201 /XIV दि० 23-08-1955 के क्रमांक 23 पर अंकित जनपद बदायूँ के अन्तर्गत कम सं०-4 व 5 में दो अलग-अलग मार्गों (1-उझानी से सहसवान रोड, 2-गुन्नौर से सहसवान रोड) का गजट हुआ है। उक्त के फलस्वरूप प्रस्ताव सं०-एफ.पी./यू.पी./रोड/23576/2017 इस प्रोजेक्ट का भाग नहीं है।
2	The signature of person authorized to make application on behalf of User Agency has not been authenticated at part IA-3(xvii).	2	अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०दि०, बदायूँ के पत्रांक - 4कैम्प/1 दि० 30-12-2016 पर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिये गये हैं।
3	Geo referenced map uploaded at C-b (vi) in part I of the proposal is without geo coordinates of key points.	3	Geo Referenced Map के Key Point के Geo Co-Ordinates के साथ अपलोड कर दिया गया है। इसकी छायाप्रति संलग्न है।
4	Benefit Cost Analysis provided at G(i)(a) in part I is incorrect.	4	Benefit Cost Analysis सुधार कर संलग्न कर दिया गया है।
5	(a) Land schedule uploaded as additional document in part I is without essential details chainage wise regarding position of Row on both sides of the centre line of the road position of proposed widening on both sides and balance protected forest width. (b) Difference in chainage length and net length has not been explained in the proposal.	5 (a) (b)	चैनेज लैन्थ एवं नेट लैन्थ में कोई अन्तर नहीं है। लैन्ड शैड्यूल संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है। चैनेज लैन्थ एवं नेट लैन्थ में कोई अन्तर नहीं है। किमी० 163.00 से 208.400 के बीच कुल लम्बाई 45.40 किमी है।
6	Linear Strip plan uploaded with the proposal does not provide details of Row, widening width required and balance width remaining.	6	Linear Strip Plan सुधार कर संलग्न कर दिया गया है। Row की डिटेल्स संलग्नक 46 पर अंकित है जिसमें चौड़ीकरण हेतु आवश्यक अतिरिक्त चौड़ाई 8.50 मीटर प्रत्येक ओर एवं इस प्रकार दोनों ओर 17.00 मीटर है। मार्ग के चैनेज 164.455 से 168.900 एवं 202.300 से 202.700 में कुल 4845 मीटर लम्बाई एवं 5.00 मीटर चौड़ाई (कुल उपलब्ध चौड़ाई 36.00 मीटर जबकि चौड़ीकरण हेतु वांछित चौड़ाई 31.00 मीटर) में कुल 2.4225 हे० क्षेत्रफल अवशेष बचेगा जिसमें न तो क्षेत्रफल की गणना की गई है

			एवं न ही वृक्षों की गणना की गयी है।
7	(a) As per GIS DSS analysis area of proposed compensatory afforestation is 119 ha only whereas as per requirement of afforestation on double degraded forest land it should be $2 \times 64.6 = 129.2$ ha. The issue needs rectification. (b) CA estimates are without incorporating cost escalation due to inflation. (c) CA has been proposed on 13 patches, all located in flood plains & river bed of Ganga, the site suitability of such CA patches need reassessment on grounds of survival of plantations during floods.	7(a)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 10.20 हे० कम होने पर 10.2 हे० का पैच जोड़ते हुए 14 पैचों में प्रस्तावित कर दिया गया है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 129.20 हे० पूर्ण हो जायेगा। मैप संलग्नक है। (b) क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के आगणन में Inflation को समायोजित करते हुए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष दरों में वृद्धि सम्मिलित कर ली गई है। (c) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, चैनेज क्षेत्र बाढ़ प्रभावित नहीं है। अपवाद की स्थिति में कभी-कभी कुछ समय के लिए बाढ़ आ जाती है। अतः बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समुचित उचाई एवं प्रजातियों के पौधों का प्राविधान आगणन में किया गया है, ताकि जल भराव की स्थिति में पौधे जीवित रह सके।
8	NPV calculation uploaded online is based on incorrect rates.	8	भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्रांक P.No. 503/2007-1C दिनांक 05-02-2009 के अनुपालन में 0.40 (Density) घनत्व वाले Dense Forest Class-III की दर 803000.00 प्रति हेक्टेअर लगाई गई है जोकि इस क्षेत्र के लिए प्रचलन में है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)
9	Site inspection report of CF (as the extent of diversion > 40 ha) is not on prescribed format.	9	वन संरक्षक बरेली स्तर से कार्यवाही वांछित है।
10	Part V of the proposal has not been uploaded with the part II online.	10	शासन स्तर पर कार्यवाही वांछित है।
11	District Magistrate has counter signed the certificate to be issued under FRA 2006. The certificate is without date and dispatch no. The content of certificate shall incorporate issues related to rights of primitive forest dwelling communities along with scheduled tribe population.	11	जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में प्रमाण तथा पत्रांक एवं दिनांक अंकित कर संलग्न कर दिया गया है। इसे आन लाइन अपलोड भी करा दिया गया है। (संलग्नक-23)
12	Various certificates/documents regarding Van Swaroop Land, non involvement of ESZ of PAs etc has not been uploaded with the proposal.	12	वन स्वरूप भूमि प्रमाण पत्र एवं नॉन इन्वाल्गेन्ट ऑफ़ ESZ अपलोड करा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

(प्रमोद कुमार)

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

बदायूँ

(रतनेश श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

बदायूँ